न्यायालय आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा

जमाबंदी रद्दीकरण पुनरीक्षण वाद सं0 -10 /2024

मदन मोहन झा

–बनाम–

बिहार सरकार एवं अन्य

अनुसूची 14 फार्म सं0–563

आदेश की क्रम सं0 और ता0	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
19.09.2025	***उपस्थिति :*** **अपीलार्थी :** 1. श्री नवल किशोर झा, विद्वान अधिवक्ता 2. श्री रजनीकान्त चौधरी, विद्वान अधिवक्ता **प्रतिवादी :** श्री मिहिर कुमार झा, विद्वान सरकारी अधिवक्ता **- आदेश -** श्री मदन मोहन झा, ग्राम–बिठुआर, थाना–पण्डौल, मधुबनी की ओर से वकालतनामा के साथ समाहर्ता,मधुबनी के जमाबंदी रद्दीकरण अपील वाद सं0–87/2023 में दिनांक–11.06.2025 को पारित आदेश के विरूद्व दायर वाद में दिनांक–06.06.2025 को निर्धारित सुनवाई के क्रम में वाद को प्रतिग्रहित करते हुए प्रतिवादी पक्षकार को सूचना निर्गत की गई तथा निम्न न्यायालय से अभिलेख की मांग की गई, उक्त के आलोक में अपर समाहर्ता, मधुबनी के पत्रांक–289 दिनांक–14.06.2025 एवं प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, मधुबनी के पत्रांक–1828 दिनांक–06.08.2025 द्वारा निम्न न्यायालय का अभिलेख उपलब्ध कराया गया। **आवेदक का कथन :–** पण्डौल अंचलान्तर्गत मौजा–उदयपुर बिठुआर में अवस्थित खेसरा नं0–2250(पुराना) रकवा–05 कठ्ठा 15 धुर भूमि गैरमजरूआ आम किस्म–रास्ता के रूप के रूप में इंद्राज है, जिसमें से रकवा–05 धूर भूमि की जमाबंदी को रद्द करने हेतु अंचलाधिकारी, पण्डौल के द्वारा प्रस्ताव अपर समाहर्ता,मधुबनी को उपलब्ध कराया गया। अपर समाहर्ता, मधुबनी के न्यायालय अन्तर्गत संचालित वाद में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड भूतपूर्व जमींदार महाराज दरभंगा की थी, जिन्होनें आवेदक के पूर्वज सुखदेव झा को दिनांक–09.09.1938 अर्थात् वर्ष 1345 फसली में बन्दोबस्त कर दिया, जिसकी जमाबंदी सं0–470 आवेदक के पूर्वज के नाम से संचालित किया गया तथा कलान्तर में जमाबंदी सं0–208/2933 के रूप में कायम किया गया। आवेदक पूर्वजों के समय से ही उक्त भूमि पर मकान मय सहन के रूप में दखलकार है, इसी क्रम में प्रतिवादी सं0–03 द्वारा	